HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 1609/2026

Satish Kumar S/o Radheyshyam, Aged About 27 Years, R/o Melkheda Police Station Shamgarh District Mandsor (Madhya Pradesh). (At Present Confined In Sub District Jail, Bhawani Mandi District Jhalawar (Raj.)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rohit Khandelwal
For Respondent(s)	:	Mr. Devi Singh, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

16/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना– सुनेल, जिला– झालावाड़ में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या– 47/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 8/15 स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रकरण में अन्य सहअभियुक्तगण गोविन्द और जीतूनाथ की जमानत याचिकाएं इस न्यायालय द्वारा पूर्व में स्वीकार की जा चुकी हैं। प्रकरण में इस प्रकार का कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त विवादित वाहन का कब्जाधारी हो। विवादित वाहन का स्वामित्व विनोद नामक व्यक्ति का पाया गया है और वाहन से जो फास्ट टैग बरामद हुआ है वह अन्य सहअभियुक्त गोविन्द के नाम पर पंजीकृत है। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त लंबे समय से अभिरक्षा में चल रहा है और

प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया। उनका तर्क है कि प्रार्थी/अभियुक्त उक्त वाहन का कब्जाधारी पाया गया है और प्रार्थी/अभियुक्त ने विनोद नामक वाहन के पंजीबद्ध स्वामी से जरिए इकरारनामा उक्त वाहन खरीद किया है और उक्त वाहन से कुल 12 क्विंटल डोडा चूरा बरामद हुआ है जो की अपने आपमें वाणिज्यिक मात्रा है। इस प्रक्रम पर प्रार्थी/अभियुक्त यह बताने में असमर्थ रहा है कि उक्त वाहन अभियुक्त ने किसको प्रदत्त किया और बिना बिल्टी इत्यादि के उक्त वाहन से किस प्रकार अन्य सामान परिविहित किया जा रहा था। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी एक प्रकरण एन.डी.पी.एस. पंजीबद्ध होना पाया गया है। अतः धारा 37 एन. डी.पी.एस के आज्ञापक प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन अस्वीकार किया जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण की तथ्यात्मक स्थिति अभिलेख पर आई है कि उक्त वाहन प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे में आने के संदर्भ में इकरारनामा पुलिस द्वारा अभिलेख पर लिया गया है और उक्त इकरारनामा की जांच में गवाह कालू ने उक्त इकरारनामे के निष्पादन को स्वीकार करते हुए यह कथन किया है कि वाहन के स्वामी विनोद द्वारा उक्त वाहन प्रार्थी/अभियुक्त को सुपुर्द किया गया था। इस संदर्भ में प्रार्थी/अभियुक्त ने तीन लाख इक्कीस हजार रूपये की राशि विनोद को अदा की थी।

उक्त वाहन बिना चालक के पुलिस थाना– सुनेल द्वारा जप्त किया गया है और जप्तशुदा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें से भारी मात्रा में डोड़ा चूरा जिसकी मात्रा लगभग 12 क्विंटल है बरामद हुआ, जो कि वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आता है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थी/अभियुक्त का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य नहीं समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **सतीश कुमार पुत्र राधेश्याम** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

RAMESHWAR/2